



आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

दाखिल खारिज रिवीजन वाद सं०-२७/२०१०

सुधा रानी-बनाम-बसंती देवी एवं अन्य

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
वारे मे टिप्पणी
तिथि सहित

04.10.24

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा नामांतरण अपील वाद सं० 63/2010-11 एवं 142/2009-10, सुधा रानी-बनाम-बसंती देवी वगैरह में दिनांक 24/09/2010 को पारित आदेश के विरुद्ध आवदेक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह दाखिल खारिज रिवीजन वाद दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी

यह रिवीजन वाद वादगत भूमि मौजा-जरमुने, खाता सं० 103, खेसरा सं० 1440, थाना नं० 108, रकवा-०.०७ एकड़ के दाखिल खारिज से संबंधित है। अंचल कार्यालय के नामांतरण वाद सं० 2344/2008-09 में विज्ञ अंचल अधिकारी, बगोदर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/02/2009 के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद सं० 63/2010-11 (142/2009-10) सुधा रानी बनाम बसंती देवी वगैरह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में दायर किया गया। तदोपरांत दिनांक 24/09/2010 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा वाद में आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

“ चूँकि इस संबंध में कार्रवाई व्यवहार न्यायालय में दायर किये गये बैंटवारा वाद सं० 33/2005 के अंतर्गत जारी है, इसलिए इस वाद अभिलेख के अंतर्गत कोई प्रभावकारी आदेश पारित किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। वादगत भूमि के खतियानी रकबा-4.83 एकड़, उभयपक्ष के दावा-प्रतिदावा में निहित रकबा तथा दोनों ही पक्ष के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति के आलोक में भी दोनों ही पक्ष के विक्रेता के अंश और अधिकार में निहित भूमि को स्थापित किए बिना किसी के पक्ष में कोई प्रभावकारी आदेश पारित किया जाता अनुचित होगा। अतः इस वाद की कार्यवाही समाप्त (Drop) किया जाता है।” उक्त आदेश के विरुद्ध यह रिवीजन वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है।

१५-

विवेचना एवं निष्कर्ष

वाद की सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, फर्द-सबुत/दस्तावेज, लिखित अभिकथन एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकनोपरांत निम्न बिन्दु विचारणीय हैं:-

1. समशेर सिंह-बनाम-आयुक्त पटियाला डिवीजन, पटियाला CWP No 16338 of 2011 में माननीय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंश उल्लेखनीय है “It has come to the notice of this Court that even if Civil Suit involving question of title and inheritance is pending, authorities are proceeding with the mutation cases and litigants are being advised and misled to file appeals and revisions before the higher revenue authorities while mutation order by the revenue authorities shall be of no avail in view of the pendency of the Civil Suit and ultimately mutation is to be carried out as per the ultimate decision in the pending civil suit. This is the classical example of multiplicity of the litigation” उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
2. उभय पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय में दायर किये गये बैंटवारा वाद सं0 33/2005 की अंतिम आदेश की प्रति इस न्यायालय में दायर नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि बैंटवारा वाद वर्तवान में Civil Court में विचाराधीन है, और Civil Court में विचाराधीन मामलो से संबंधित वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष, अभिलेखबद्ध सम्पूर्ण दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के परिशीलन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादगत भूमि से संबंधित बैंटवारा वाद सं0 33/2005 Civil Court में विचाराधीन है, जिस कारण इस वाद में कोई निर्णय देना अनुचित होगा। अतः इस वाद की कार्यवाही को समाप्त

१५

(Drop) किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

७५०४/१०/२४

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

७५०४/१०/२४

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक ७४४ न्या० दिनांक ०४/१०/२०२४

प्रतिलिपि:-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह एवं बगोदर-सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अंचल अधिकारी, बगोदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

७५०४/१०/२४

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

७५०४/१०/२४

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।